

संख्या : शिक्षा (प्रा0)एच0 (6)3-10 / 2021

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,

हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला- 171001, जनवरी, 2022

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)  
12 JAN 2022  
शिमला-1

प्रेषित :-

1. समस्त उप निदेशक (उच्च शिक्षा),  
हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),  
हिमाचल प्रदेश ।

विषय :-

“अटल स्कूल वर्दी योजना” के अन्तर्गत कक्षा पहली से बारहवीं के छात्र-छात्राओं को वर्ष 2021-22 की स्कूल वर्दियों की आपूर्ति एवम् आवंटन वारे दिशा-निर्देश ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि “अटल स्कूल वर्दी योजना” के अन्तर्गत कक्षा पहली से बांहरवीं के सभी छात्र-छात्राओं को वर्ष 2021-22 की वर्दियों की आपूर्ति (Supply) हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा L-1 कम्पनी मैसर्स मफलाल इंडस्ट्रीज लि0 को दिनांक 24.11.2021 को आपूर्ति आदेश (Supply Order) जारी किया गया है (छायाप्रति संलग्न) तथा यह अपेक्षित है, कि वर्ष 2021-22 की स्कूल वर्दियों की आपूर्ति शिक्षा विभाग के विभिन्न चिन्हित प्राक्तकर्ता अधिकारियों (BEEOs/ Principals GSSS) के कार्यालय में इस वर्ष दिसम्बर माह के अंत तक प्राप्त होना आरम्भ हो जाएगी। अतः आप उक्त आपूर्ति आदेश (Supply Order) दिनांक 24.11.2021 की छायाप्रति अपने-2 जिला के सभी चिन्हित प्राक्तकर्ता अधिकारियों (Indenting Officers) को शीघ्र उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ताकि वह स्कूल वर्दियों की आपूर्ति उक्त आपूर्ति आदेश (Supply Order) में निर्धारित नियमों एवम् शर्तों के आधार पर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इस सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त चिन्हित वर्दी प्राक्तकर्ता अधिकारियों (BEEOs/Principals GSSS) को निम्न दिशा-निर्देश भी शीघ्र जारी करने की कृपा करें:-

1. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा वर्ष 2021-22 की स्कूल वर्दियों की आपूर्ति हेतु दिनांक 24.11.2021 को जारी आपूर्ति आदेश (supply order) में निहित नियमों एवम् शर्तों (terms & conditions) के अनुसार ही स्कूल वर्दियों की आपूर्ति आपको उपलब्ध करावये गए मास्टर सैमलज के अनुसार प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

2. “अटल स्कूल वर्दी योजना” के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं में वर्ष 2021-22 की स्कूल वर्दियों का आवंटन तैब टैरिस्टिंग की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जाएगा। तैब टैरिस्टिंग की रिपोर्ट प्राप्त करने से पूर्व छात्र-छात्राओं में वर्दियों का आवंटन निधारित निर्देशों की अवहेलना व उल्लंघन समझा जाएगा, जिसके लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

3. प्रत्येक स्कूल वर्दी प्राक्तकर्ता अधिकारी (BPEOs/ Principals GSSS) स्कूल वर्दियों की आपूर्ति के साथ-2 वर्दी ही आपूर्तिकर्ता कम्पनी (Supplier Firm) से वर्दियों के मूल कय बिल, जी. आर., तैब टैस्ट रिपोर्ट तथा ई-बे बिल रिपोर्ट्स को पूर्ण रूप में प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा उसके उपरान्त प्रत्येक प्राक्तकर्ता अधिकारी प्राप्त स्कूल वर्दियों के मूल सत्यापित कय बिल, जी.

1099  
27/01/22

आर., लैब टेस्ट रिपोर्ट तथा ई-बे बिल अपने हस्ताक्षर एवं मोहर सहित प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ब्लाक न0 16-17, एस.डी.ए. कमर्शियल कम्प्लैक्स कसुम्पटी, शिमला-171009, के कार्यालय को समय पर भेजना सुनिश्चित करें।

4. प्रत्येक स्कूल वर्दी प्राल्तकर्ता अधिकारी (BPPEOs/ Principals GSSS) यह सुनिश्चित करें कि स्कूल वर्दियों की आपूर्ति प्राप्त होने के उपरान्त लैब टैरिफिंग हेतु स्कूल वर्दियों के random sample इस निदेशालय के पत्र दिनांक 02.11.2021 के अनुसार अपने-2 सम्बन्धित उप निदेशकों को निम्न वर्णित प्रमाण पत्र के अनुसार प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ब्लाक न0 16-17, एस.डी.ए. कमर्शियल कम्प्लैक्स कसुम्पटी, शिमला-171009, के कार्यालय को स्कूल वर्दियों की आपूर्ति प्राप्त करने के पश्चात तीन दिनों के भीतर लैब टेस्ट हेतु जमा करवाना सुनिश्चित करें।

#### प्रमाण पत्र

- क) स्कूल का नाम :
- ख) भेजे गये नमूनों (random samples)की संख्या:  
(हस्ताक्षर एवं संबंधित अधिकारी की मोहर तथा वर्दियों के सैट नं. के ब्यौरे सहित)
- ग) दिनांक जिस तिथि को रैंडम सैम्पल लिया गया:
- घ) आपूर्तिकर्ता का नाम, बिल संख्या व दिनांक:(जिसके अंतर्गत स्कूल वर्दियां प्राप्त हुईं)

हस्ताक्षर (मोहर सहित)  
सक्षम अधिकारी का नाम  
कार्यालय /स्कूल का नाम

5. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम प्राल्तकर्ता अधिकारियों (BPPEOs/ Principals GSSS) द्वारा जमा करवाये गए स्कूल वर्दियों के नमूनों(random samples)को समयवद्ध तरीके से सरकार द्वारा स्वीकृत/निर्धारित NABL लैबों से परीक्षण(testing) करवाएगा तथा निगम परीक्षण रिपोर्ट(lab test report) अविलम्ब प्राल्तकर्ता अधिकारियों (BPPEOs/ Principals GSSS) को e-mail के माध्यम से समय पर उवलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगा, तद्दोपरान्त ही स्कूल वर्दियों का आवंटन छात्र-छात्राओं में किया जाएगा।

6. सभी पाठशालायें /पाठशाला प्रमुख यह सुनिश्चित करने कि किसी भी छात्र-छात्राओं से स्कूल वर्दियों की दुलाई इत्यादि का कार्य न करवाया जाए, तथा छात्र-छात्राओं से किसी भी प्रकार का दुलाई शुल्क भी न लिया जाए, अन्यथा इस सन्दर्भ में किसी प्रकार की सूचना/रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

7. यदि किसी छात्र-छात्रा का बैंक खाता नहीं है, तो उस स्थिति में आप ऐसे छात्र-छात्राओं को स्कूल वर्दियों की सिलाई (Sitching charges) हेतु विभाग द्वारा आवंटित बजट से प्रति छात्र-छात्रा निर्धारित मु0 200/- रूपये की धनराशि उनके माता-पिता (preferably mothers) के बैंक खातों के माध्यम से समय पर भुगतान करना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे अति आवश्यक और समयवद्ध समझे।

(डा0 पंकज ललित, हि0प्र0से0)

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय  
हिमाचल प्रदेश, शिमला -171001


पृष्ठांकन संख्या: ईडीएन-यू (जी-1) वदियां / 2020 / - 2364.

28 जनवरी, 2022

प्रतिनिधि:-

1 खण्ड स्तर के प्रधानाचार्य रावणमाथा अम्ब, हरोली, थानाकंला, ऊना (छात्रा) मुबारिकपुर, चौकीमनियार व कलोह जिला ऊना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। तथा निर्देश दिए जाते हैं कि पत्र के अनुसार कार्यवाही की जाए।

2 शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक हिमाचल प्रदेश शिमला को सूचनार्थ प्रेषित है।

  
शिक्षा उप-निदेशक उच्चतर  
ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)